Industrial Training Institute

Skill Development and Industrial Training Directorate, Haryana
Plot No. IP-2, sector-3, Near Majri Chowk, Panchkula

सेवा में,

प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज,
सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
हरियाणा राज्य में।

यादि क्र0:T-1/Trg./ Admissions/ 8628 दिनांक 18/12/2020

विषयः– सत्र 2020–21 में दाखिल छात्र/छात्राओं का DST व्यवसाय यूनिट में स्थानांतरण बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

सरकार द्वारा सत्र 2020–21 में DST व्यवसाय यूनिटों के अन्तर्गत शत–प्रतिशत दाखिला करने बारे निर्देश दिए गए हैं जिससे कि इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिल छात्र/छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। तदानुसार राजकीय औ0प्रशि0 संस्थानों में दाखिल एवं DST व्यवसायों में दाखिले की योग्यता (निदेशालय के पत्र क्रं0 16621 दिनांक 25.11.2020 अनुसार आयु में छूट देने बारे) रखने वाले सभी छात्र/छात्राओं को DST व्यवसाय यूनिटों में प्रवास करने का अवसर दिनांक 21.12.2020 से 23.12.2020 तक प्रदान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत इच्छूक छात्र/छात्रा को दाखिला पोर्टल पर लॉगिन करते हुए केवल एक DST व्यवसाय यूनिट चुनने का मौका दिया जाएगा तथा सीटो की उपलब्धता के आधार पर चुनी गई सीट तत्काल अलाट कर दी जाएगी। इस प्रकार स्थानांतरण की कार्यवाही समाप्त होने उपरांत सभी संस्थानों के ERP लॉगिन में सत्र 2020–21 में दाखिला प्राप्त छात्र/छात्राओं की नवीनतम सूची अपडेट कर दी जाएगी।

इस संदर्भ में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि संस्थान स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही करें ताकि अधिक से अधिक छात्र/छात्रा इस अवसर का लाभ उठाते हुए DST व्यवसाय यूनिटों में स्थानांतरण कर सकें।

1. संस्थान स्तर पर इस बारे प्रचार/प्रसार करें तथा दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत दाखिला लेने हेतु प्रार्थियो को प्रोत्साहित करने बारे संस्थान के नोटिस बोर्ड पर भी सूचित करें।
2. प्रशिक्षार्णियों को आन–लाईन प्रशिक्षण देने हेतु बनाए गए (E-learning) whatsapp group में भी इस बारे सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत करवाएं।
3. अभी संस्थानों में जो प्रशिक्षणार्थी अपने मूल–प्रमाण पत्रों की वैरीफिकेशन हेतु उपस्थित हो रहें हैं उन्हे भी इस बारे अवगत करवाएं।

इसके अतिरिक्त सभी संस्थानों को निर्देश दिए जाते है कि स्थानांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत सभी संस्थान उनके यहां DST व्यवसाय यूनिटों में स्थानांतरित हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि को DST में दाखिले की हिदायतों अनुसार वैरीफाई करेंगे। इस प्रकार किसी प्रशिक्षणार्थी के अयोग्य पाए जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रवास रद्द कर दिया जाए।

16/12/2020

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–5)
कृतेः महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

CC:-

1. सहायक निदेशक (प्रशि0–I / DST नोडल अधिकारी)
2. We-Excel, ERP पोर्टल पर उपरोक्तानुसार प्रावधान करने हेतु।

In order to ensure 100% DST seats are filled, provision of migration from non-DST units to DST units will be made available for trainees

सक्षम हरियाणा

Trainees can change their trade on admission portal from 17th Dec to 20th Dec